An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Political Science**
Research Link - 155, Vol - XV (12), February - 2017, Page No. 82-84
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Since March 2002

Federalism and Nation Building

After 65 years , Indian federalism is still at work in progress. Today India's political institutions widely recognized as a vigorous albeit hybrid variant of the federal species. Self-rule and shared-rule have been combined in unorthodox ways which have enabled the Indian Union to not only survive but also flourish in all its diversity. The Constituent Assembly created an 'Indestructible Union of Destructible States'. The strong Centre framework is not challenged or sought to be replaced even by proponents of state autonomy. What they want is strong states and more state autonomy within the same framework.

TUSHMA DEVI* & DR. CHANCHAL KUMAR SHARMA**

Introduction :

The basic structure of governance is being transformed in countries around the world as authority and resources migrate from center to subnational governments. Political scientists and economists have developed a wealth of theories to explain the causes and consequences of these shifts, but systematic empirical testing has lagged behind. A federation (also known as a federal State) is a political entity characterized by a union of partially self-governing states or regions under a central government. In a federation, self-governing states of the component states, as well as the division of powers between them and the central government, are typically constitutionally entrenched and may not be altered by a unilateral decision of either party, the states or the federal political body. Alternatively, federation is a form of government in which sovereign power is formally divided between a central authority and a number of constituent regions so that each region retains some degree of control over its internal affairs.

The governments or constitutional structures found in a federation are known as federalism. It can be considered the opposite of another system, the unitary state. Federations are often multiethnic and cover a large territory such as Russia, the United States, India, or Brazil.

Objective of Federalism :

(1) The objective of federalism is to safeguard the unity of the country and also romote regional diversity.

(2) The constitution of India declared India as a union of states, although the constitution follows the Principle of Federation.

(3) It checks, solve disputes, and supervise the procedure, in both the governments. 4. The Judiciary has the power to resolve conflicts between the Centre and State, they also have the power to interpret the laws of both the governments.

The Basic Tenets of Federalism :

(1) There must be at least two levels of government and there must be constitutional division of powers among the levels of governments.

(2) Each level of government must be co-ordinate and independent.

(3) Each level of government must be financially independent.

(4) There must be Supreme Court of the Independent judiciary.

(5) In terms of the amendment of the constitution, no level of government should have undue powers over the amendment process.

Federalism in India :

The government of India was established by the constitution of India, and is governing authority of a federal union of 29 states and 7 union territories. The government of India is based on a three tiered system , on which the constitution of India delineates the subjects on which each tier of government has executive powers. The seventh schedule of the Indian constitution delimits the subjects of each level of governmental jurisdiction, dividing them into three lists.

(a) Union List includes subjects of national importance such as defence of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. The Union

***Research Scholar & Lecturer (Political Science), B.S. Sr. Sec. School, Akodam, Dist. Mahender Garh (Haryana)**
****Head (Department of Political Science), Cuh Jant Pali, Mahender Garh (Haryana)**

Government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the Union List.

(b) The State List contains the subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The State Government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the State List.

(c) Concurrent List includes subjects of common interest to both the Union Government as well as the State Government, such as education, forest, trade, marriage, adoption and succession. Both the Union as well as the State Government can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflicts with each other, the law made by the Union Government will be prevail.

Constitutional Structure (Division of Power) :

In a federation, the division of power between federal and regional governments is usually outlined in the constitution. Almost country allows some degree of regional self-government, in federation the right to self-government of component states is entrenched. Component states often also possess their own constitutions which they may amend as they see fit , although in the event of conflict the federal constitution usually take precedence.

Federalism As A Conflict Reducing Device :

Federalism is generally seen as a useful way to structure political system in order to prevent violence among different groups with countries because at allows certain groups to legislate at the sub-national level. Some scholars have suggested, however, that federalism can divide countries and result in state collapse. But federalism is only divisive when it lacks mechanisms that encourage political parties to compete across regional boundaries.

Nation Building :

Nations stay together when citizens share enough values and preferences and communicate with each other. For plural societies like India, the only workable strategy of nation building is to provide all segments of federation with an equal sense of belonging, respect and security. As a matter of policy India adopted cultural pluralism rather than an assimilation brand of cultural nationalism. The constitution allowed federalism to develop and evolve as a dynamic process, despite certain inbuilt limitations.

Contribution of Federalism in Making of Nation :

The concept of federalism has received broad scholarly attention as it plays a very important role in making of nation as:

(1) Federations may foster peace in the sense of preventing fears of war in several ways.

(2) States can join federation to become jointly powerful enough to dissuade external aggressors and to prevent aggressive and preemptive wars among themselves.

(3) Federation can promote economic prosperity by removing internal barriers to trade by becoming a sufficiently large global player to affect international trade regimes.

(4) Federal arrangements may protect individuals against political authorities by constraining state sovereignty, placing some powers with the Centre.

(5) Federal arrangements may enhance the political influence of formerly sovereign governments. e framework is not challenged or sought to be replaced even by proponents of state autonomy. What they want is strong states and more state autonomy within the same framework.

There have been two important developments in the federal landscape in India impacting on Centre-state relationships, one on the economic and another on the political side. The change in the economic side is the paradigm shift in development strategy. Transition from the public sector dominated, heavy industry based import-substituting industrialization to the one with market based resource allocation requires a shift in the roles and relationships between the centre and states as well. In the new regime, private investments will flow to states with market friendly policies and competitive levels of infrastructure. Inclusive development in this regime is possible when the centre assists the fiscally disadvantaged states to offset their fiscal disabilities either by appropriately designing the federal transfer system or through regional policies. This is particularly important when there are significant impediments to population mobility. Economic dynamism from intergovernmental competition requires ensuring a measure of 'competitive equality' and 'cost-benefit appropriability' (Breton, 1987, 1996).

The second major development relates to political changes. The end of single party rule at the Centre and States has changed the nature of relationship between the two levels of government from one of extreme cooperation to often confrontationist and acrimonious. The emergence of coalition governments at the centre with regional parties as pivotal members of the coalition although has weakened the decision making, it has increased the tendency to extend patronage to the states in discretionary manner depending upon the dispensation of the parties ruling in the states towards the ruling coalition at the centre. This has also led to initiating several developmental schemes by the Centre in the States' domain though specific purpose transfers, often giving grants directly to the local governments and implementing agencies bypassing the state governments with the states losing incentives and accountability even on the programmes in their own domain. These changes in the political configurations have also led to changes in the ethos. Lack of getting elected has led to shorter time horizon for elected representatives and both politicians and political parties resulting in losing interest in pursuing long term developmental projects and pursue short term and populist agenda.

There have been two important developments in the federal landscape in India impacting on Centre-state relationships, one on the economic and another on the political side. The change in the economic side is the

paradigm shift in development strategy. Transition from the public sector dominated, heavy industry based import-substituting industrialization to the one with market based resource allocation requires a shift in the roles and relationships between the centre and states as well. In the new regime, private investments will flow to states with market friendly policies and competitive levels of infrastructure. Inclusive development in this regime is possible when the centre assists the fiscally disadvantaged states to offset their fiscal disabilities either by appropriately designing the federal transfer system or through regional policies. This is particularly important when there are significant impediments to population mobility. Economic dynamism from intergovernmental competition requires ensuring a measure of 'competitive equality' and 'cost-benefit appropriability' (Breton, 1987, 1996).

The second major development relates to political changes. The end of single party rule at the Centre and States has changed the nature of relationship between the two levels of government from one of extreme cooperation to often confrontationist and acrimonious. The emergence of coalition governments at the centre with regional parties as pivotal members of the coalition although has weakened the decision making, it has increased the tendency to extend patronage to the states in discretionary manner depending upon the dispensation of the parties ruling in the states towards the ruling coalition at the centre. This has also led to initiating several developmental schemes by the Centre in the States' domain though specific purpose transfers, often giving grants directly to the local governments and implementing agencies bypassing the state governments with the states losing incentives and accountability even on the programmes in their own domain. These changes in the political configurations have also led to changes in the ethos. Lack of getting elected has led to shorter time horizon for elected representatives and both politicians and political parties resulting in losing interest in pursuing long term developmental projects and pursue short term and populist agenda.

Conclusion :

After 65 years , Indian federalism is still at work in progress. Today India's political institutions widely recognized as a vigorous albeit hybrid variant of the federal species. Self-rule and shared-rule have been combined in unorthodox ways which have enabled the Indian Union to not only survive but also flourish in all its diversity. The Constituent Assembly created an 'Indestructible Union of Destructible States'. The strong Centre framework is not challenged or sought to be replaced even by proponents of state autonomy. What they want is strong states and more state autonomy within the same framework.

***References* :**

(1) *Ambedkar, B.R. (1948) : Unusual Features of The Constitution. Federalism of India's Party System in Ajay Mehra's Political Parties and Party System.*

(2) *Austin, Granville (2000) : Working of a Democratic Constitution.*

(3) *Bagchi, Amresh, (2000) : Rethinking Federalism.*

(4) *Alaam, Javeed (2004) : Who Wants Democracy.*

(5) *Majeed (Akhtar) ed (2005) : Federal India (2004) Federalism in the Union ed.*

(6) *Saxena, Rekha (2006) : Situating Federalism.*

(7) *Dua B D etaleds (2007) : Indian Federalism in the New Millenium. Federal Relations, The Australian National University.*

(8) *Fredrick C. J. (1963) : Federalism: National and International, London Oxford University Press.*

(9) *Mawhood P (1948) : "The Political of Survival; Federal State in the Third World. Ojo EO (1998) "The New Fedral Capital Territory as an Integrative Mechanism in Nigeria" India j Pol (1and2).*

(10) *Wheare K C (1967) : Federal Government (Fourth Edition Reprinted, Oxford University Press, London.*

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Political Science**
Research Link - 155, Vol - XV (12), February - 2017, Page No. 85-86
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Since March 2002

अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत द्वारा अफगानिस्तान में शांति व स्थायित्व के लिए विभिन्न प्रकार की मानवीय, सैन्य व पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का विश्लेषण किया गया है। अफगानिस्तान का स्थायित्व भारत के लिए पाकिस्तान व चीन से संघर्ष में बहुत अधिक राजनीतिक साझेदार बन सकता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को आतंक पर बेनकाब कर भारत का सहयोग कर इस सिद्धांत की प्रतिपुष्टि की है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने सार्क सम्मेलन में इस्लामाबाद जाने से मना कर भारतीय सेना पर आतंकी हमले में भारत का साथ देकर अटूट मित्रता का धर्म निभाया है। इस प्रकार पाकिस्तान व चीन की भारत विरोधी नापाक हरकतों से मुकाबला करने के लिए लोकतांत्रिक अफगानिस्तान में शांति व स्थायित्व वर्तमान समय की आवश्यकता है, इसलिए भारत के इस ओर ध्यान देने से क्षेत्रीय देशों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र बन गया है, जबकि विश्व स्तर पर अफगानिस्तान को सहयोग देने वाले सर्वोच्च दस राष्ट्रों में शामिल है।

सुरज्ञान सिंह यादव* एवं राजेश कुमार शर्मा**

भारत व अफगानिस्तान की स्थिति :

भारत व अफगानिस्तान दक्षिण एशिया के प्रमुख देश हैं। अफगानिस्तान भूमि आबन्ध देश है, जो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन व पाकिस्तान से सीमाबद्ध है। वहीं भारत पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यानंमार व बांग्लादेश से सीमावर्ती होने के साथ–साथ विशाल हिन्द महासागर से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान प्राचीन अखण्ड भारत का अभिन्न अंग रहा है। भारत की स्वतन्त्रता के बाद पाकिस्तान के बन जाने से भारत – अफगानिस्तान के मध्य भौगोलिक दूरी स्वतः बन जाने से भी इनके मध्य सांस्कृतिक, राजनीतिक सम्बन्धों में कोई कमी नहीं आई। परन्तु अफगानिस्तान के गृह युद्ध के बाद वर्ष 1994 के बाद से तालिबान के हावी होने से अफगानिस्तान में मुसलिम कट्रता का दौर शुरू हो गया था। इसी तालिबान के राज में कंधार कांड (24 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 1999) जिसमें भारतीय वायुयान उड़ान 814 जो नेपाल के त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने के बाद बंधक बनाकर कंधार ले जाई गई।

इसके बाद वर्ष 2001 में 9/11 के अमरीकी हमले के बाद अलकायदा के ओसामा बिन लादेन के हाथ होने व तालिबान के सहयोग के प्रतिफल में अमेरिका द्वारा नाटों सेनाओं के सहयोग से तालिबान का खात्मा करने के बाद हामिद करजई के राष्ट्रपति बनने तक भारत अफगानिस्तान के सम्बन्धों में कटुता का दौर रहा। परन्तु अमेरिका द्वारा तालिबान के खात्मे के बाद वर्तमान लोकतान्त्रिक अफगानिस्तान भारत का घनिष्ट मित्र राष्ट्र है। इसीलिए अमेरिका–तालिबान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में हुए विधवंश के पुनर्निर्माण में भारत ने विशेष भूमिका निभाई है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्थायित्व व शान्ति से भारत के सुरक्षा हित जुड़े हुए हैं।

अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भागीदारी :

भारत नवम्बर 2001 से वर्तमान तक आनुमानित 3.1 बिलियन डालर (लगभग 12800 करोड़ रूपये) की मानवीय व पुनर्निर्माण से सम्बन्धित आर्थिक सहायता अफगानिस्तान को दे चुका है। इसी के साथ भारत क्षेत्रीय देशों में भारत, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जबकि विश्व स्तर पर अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने वाले सर्वोच्च दस देशों के समूह में शामिल है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भागीदारी के कुछ कार्य तालिका–1 में दर्शाये गए हैं।

सलेम बाँध को भारत–अफगानिस्तान मित्रता बाँध नाम देने के साथ–साथ अफगानिस्तान के नव निर्मित संसद भवन के एक ब्लॉक का नाम भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल ब्लॉक रखकर भारत के मान को अफगानिस्तान की सस्कृति में शामिल कर उपकृत करने का प्रयास सराहनीय कदम हैं। इसके अतिरिक्त पुल–ए–कुमारी से काबुल तक 220 केवी की विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कर रहा है। दक्षिण–पश्चिम अफगानिस्तान में ईरान बार्डर के जंरज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर सड़क परियोजना पर भी कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त चिमटाला में 220/110/20 केवी के विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कार्य भी कर रहा है। इसके

**शोध छात्र **एसोसिएट प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)*

तालिका 1 : भारत द्वारा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के कार्यों की स्थिति

क्रम संख्या	परियोजना विवरण	समयावधि	लागत करोड़ रूपये
1	हेरात में सलेम बाँध 42 मेगावॉट विद्युत परियोजना का निर्माण	2011–12 से 2015–16	1775
2	काबुल में अफगानिस्तान की लोकसभा का निर्माण	2011–12 से 2015–16	969
3	डोशी और चारीकर उप विद्युत स्टेशनों के निर्माण की परियोजना	2011–12 से 2015–16	74.9
4	भारत द्वारा अफगानिस्तान को गेहूँ की सहायता	2011–12 से 2015–16	476.5
5	अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और तकनीक विश्वविद्यालय कंधार में उन्नयन के लिए सहयोग	2011–12 से 2015–16	4
6	अफगानिस्तान में लघु विकास परियोजनाएँ	2011–12 से 2015–16	104.8
7	काबुल के भण्डार गृह का जीर्णोद्वार	2011–12 से 2015–16	17

स्त्रोत : वार्षिक बजट लोकसभा, भारत।

अतिरिक्त इन्दिरा गाँधी शिशु स्वास्थ्य केन्द्र भी बालकों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काबुल में सेवाएँ दे रहा है। इसके अतिरिक्त भारत वर्तमान अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व के लिए अनेक मानवीय, सैन्य प्रशिक्षण, कुपोषण, उच्च शिक्षा में 1000 छात्रवृति प्रदान करने के साथ–साथ वहाँ संरचनात्मक विकास में भी बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है, क्योंकि सक्षम व स्थिर अफगानिस्तान भारत व दक्षिण एशिया में शांति व स्थायित्व के लिए कार्य करने में एक सहयोगी की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यह पाकिस्तान व चीन की कट्टरवादी व विस्तारवादी नीतियों के विरूद्ध भारत का सहयोगी बनकर उभरा है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने भूटान, श्रीलंका व बांग्लादेश की तरह इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर भारत का साथ दिया है। इस कार्य ने भारत का दक्षिण एशियाई देशों में मान बढ़ाने के साथ–साथ आंतकवाद पर पाकिस्तान को अलग–थलग करने में बहुत बड़ा काम किया है। अभी हाल ही में भारत में आयोजित कार्यक्रम "एशिया का दिल" में पाकिस्तान के प्रतिनिघियों के सामने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रूप को उजागर करने में कोई कसर नही छोड़ी।

इस प्रकार हम उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत को एक नया साझीदार मिल गया है। इसीलिए हम भारत के अफगानिस्तान में आर्थिक प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम मानते हैं कि अभी भारत में आर्थिक समस्याएँ व्याप्त हैं, परन्तु हमें इसी के साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद ने ही भारत को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाया है। इसलिए अफगानिस्तान की स्थिति को भारत जैसा भुगतभोगी देश ही समक्ष सकता है।

सन्दर्भ :

(1) विभिन्न वार्षिक बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
(2) द हिन्दू, दैनिक पत्र, 4 दिसम्बर 2016।
(3) विदेश मंत्रालय, अफगानिस्तान सरकार।
(4) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal :
Political Science
Research Link - 155, Vol - XV (12), February - 2017, Page No. 87-89
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर का पद : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र, छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर के पद से सम्बंधित है। स्पीकर या अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है, वह सभा की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है और चूंकि सभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, अतः एक तरह से स्पीकर, स्वतंत्रता और आजादी का प्रतीक बन जाता है। अतः यह उचित ही है कि स्पीकर का पद सम्मानित पद है, उसकी स्वतंत्र स्थिति है और उस पर वही व्यक्ति आसीन होना चाहिए, जो असाधारण रुप से योग्य तथा निष्पक्ष हो।

डॉ.आर.के.पुरोहित* एवं श्रीमती रेणुका शर्मा**

''विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारी संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली के तीन स्तंभ है। हमारे राष्ट्र जीवन की आधारशिला तीन खंभों पर टिकी हुई है। ये खंभे जितने मजबूत होगें, उतना ही सुदृढ़ हमारा जनतंत्र होगा और उतना ही स्वस्थ हमारा समाज होगा, उतना ही उन्नतिपरक हमारा राष्ट्र होगा।

इन तीनों स्तम्भों में भी विधायिका की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का जनमानस इसी के द्वारा सम्पूर्णतः प्रतिबिम्बित होता है। विधायिका ही राष्ट्र की आत्मा होती है जिसमें अतीत,वर्तमान और भविष्य समाहित होते हैं। जनता के सुख–दुखः, आशा–निराशा, प्रगति–अप्रगति सभी की झलक विधायिका के कार्यकलाप में मिल जाती है।

वस्तुतः विधायिका राष्ट्र मंदिर में स्थापित देव–विग्रह मूर्ति की तरह है। मूर्ति जितनी ही सुन्दर भव्य और सिद्ध होगी, उतनी ही व्यापक उस मंदिर की कीर्ति होगी।''[1]

किसी भी देश का संविधान उस देश की संपूर्ण व्यवस्था का मेरूदण्ड होता है। भारतीय संविधान एक उत्कृष्ट प्रलेख है। यह केवल राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र न होकर भारत की जन की आशाओं आस्थाओं, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी करती है। संविधान पदों का विन्यास मात्र न होकर जीवन की एक शैली भी माना गया है। 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय जनता के जिस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया है उसका मूल ढांचा संसदीय पद्धति है। संविधान ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा को सम्प्रभुता सौपी है।

''केन्द्र में लोकसभा कानून का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या पांच सौ से अधिक या साठ से कम नही होगीं। इसके सदस्य जनता द्वारा व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जायेगें।''[2]

राज्य के विधानसभा के सन्दर्भ में जब हम गम्भीर पर्यवेक्षण करते है तो विधानसभा के प्रमुख का पद अध्यक्ष या स्पीकर हमारा ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।

यह सदन प्रजातंत्र का मन्दिर है और इस पवित्र मंदिर का देवता अध्यक्ष है, जिस प्रकार किसी मंदिर में उस देवता को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार इस प्रजातंत्र में सदन के अध्यक्ष का समस्त प्रदेश में सम्मान किया जाता है।

''अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है, वह सभा की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है और चूंकि सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, अतः एक तरह से स्पीकर राष्ट्र की स्वतंत्रता और आजादी का प्रतीक बन जाती है अतः यह उचित ही है कि स्पीकर का पद सम्मानित पद है, उसकी स्वतंत्र स्थिति है और उस पर वहीं व्यक्ति आसीन होने चाहिए, जो असाधारण रूप से योग्य तथा निष्पक्ष हो।''[3]

''अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य है कि वह सदन की रक्षा सदन से करें। इसका अभीष्ट फल यह होगा कि विधानसभा वह सफल प्लेटफार्म हो सकेगीं। जहां लोगो के सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि अपने मन की सभी प्रिय अथवा अप्रिय बातों को बिना हिचक या डर से कर सकेगें।''[4]

''संविधान के अनुच्छेद 168 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से बनेगा। विधानसभा का गठन पाँच वर्ष के लिए होता है।''[5]

1 नवंबर 2000 के पूर्व छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश का अंग था। संसद ने कानून बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को अपनी

***शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, बसना (छत्तीसगढ़) **शोधछात्रा, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)**

स्वीकृति दी। और इस प्रकार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़,भारत के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, चूंकि मध्यप्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष शेष था, इस आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधायकों से मिलकर बनीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 2003 तक निश्चित किया गया।

''सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, सदन को 5 वर्ष के पूर्व विभिन्न परिस्थिति में भंग किया जा सकता है। यथा यदि सरकार के विरूद्ध अविस्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। द्वितीय मुख्यमंत्री कभी भी विधानसभा को भंग करने का परामर्श राज्यपाल को दे सकता है, तृतीय यदि राज्य में संविधानिक संकट की घोषणा हो जाए और संसद की स्वीकृति उस पर प्राप्त हो जाए तथा नई सरकार के गठन की संभावना उस विधानसभा में न हो तो भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। विधानसभा भंग होने की दशा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रीमंडल तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, किन्तु स्पीकर का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, वरन् वह विधानसभा के गठन होने और उसके प्रथम सत्र आहुत होने के समय के ठीक पूर्व तक होता है। इसप्रकार स्पीकर नई विधानसभा के प्रथम सत्र के ठीक पूर्व तक पद पर बना रहता है।''(6)

कोई भी संस्था बिना मुखिया के संचालित नहीं हो सकती। ''विधानसभा का पूर्व स्पीकर, विघटित या पूर्व विधानसभा का सदस्य होता है। यह भी संभव है कि वह स्पीकर नई विधानसभा का सदस्य नहीं बन सका हो, अतएव ''विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष मुख्यमत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऐसा प्रोटेम या अस्थायी अध्यक्ष प्रायः परम्परानुसार नई विधानसभा का सर्वाधिक अनुभवीय या वयोवृद्धि सदस्य होता है।''(7)

छत्तीसगढ़ निर्माण के समय पूर्व विधानसभा का कार्यकाल तीन वर्ष शेष था एवं 2003 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए हुए निर्वाचन के समस्त सदस्य 2003 तक सदस्य बने रहे। राज्य के निर्माण के बाद महेन्द्र बहादूर सिंह को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। जिन्होनें समस्त सदस्यों को पद की शपथ दिलाई चूंकि विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत था अतएव कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि के रूप में स्पीकर के पद पर स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल का चयन किया और राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल स्पीकर के पद पर निर्वाचित हुए।

2003, 2008 व 2013 में विधानसभा के निर्वाचनों में भाजपा को बहुमत मिला पर उसकी सरकार बनीं भारत में यह परम्परा रही है कि संसद और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल स्पीकर के पद पर अपना उम्मीदवार चयनित करता है और डिप्टी स्पीकर का पद विरोधी दलों को दे दिया जाता है। 2003, 2008 व 2013 में भाजपा के क्रमशःश्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय श्री धरमलाल कौशिक और श्री गौरीशंकर अग्रवाल स्पीकर के पद पर निर्वाचित हुए और उन्होनें ने अपने दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वहन किया।

स्पीकर सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है, सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है। सदस्यों को बोलने की तथा विभिन्न प्रकार प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है। उसका निष्पक्ष व्यवहार स्पीकर की गरिमा को बढ़ाता है। जबकि सदन में विरोधी दल प्रायः आक्रमक तेवर बनाए रखता है। उस समय स्पीकर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस प्रकार वह निष्क्षता पूर्वक सदन का संचालन करते हैं।

प्रथम विधानसभा का कुल 08 सत्रों का रहा, और 118 दिनों तक चला जिसमें विभिन्न प्रस्तावों, प्रश्नों पर चर्चा चलाया गया। स्पीकर सदन के स्वीकृत व अपने स्व–विवेक से सदन का संचालन करते हैं, वे किसी भी प्रस्ताव को ग्राह्य व अग्राह्य कर सकते हैं। इस प्रकार सदन में किए गए संचालन का कोई विरोध नहीं करते हैं। अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम होती है। उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती। वे अंतिम होते हैं और पूरे सदन को मान्य होते हैं। कोई सदस्य सदन के बाहर भी स्पीकर की आलोचना नहीं कर सकते।

''प्रथम विधानसभा में सदन में पोडियम व्यवस्था की शुरूआत हुई, जिसमें सदन के दौरान कोई सदस्य यदि गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो दिनभर के लिए वह सदन से निलम्बित हो जाता है। निलंबन तब तक रहेगा जब तक अध्यक्ष चाहेगां, इस निर्णय के साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य हो गया जिसमें उक्त संसदीय परम्परा की शुरूआत की। इस प्रकार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय स्पीकर के द्वारा लिए जाते है।''(8)

द्वितीय विधानसभा 15 सत्रों का रहा जो 22 दिसम्बर 2003 से 11 जुलाई 2008 तक चला, स्पीकर निष्क्षता पूर्वक सदन का संचालन किया। द्वितीय विधानसभा में सदन में अध्यक्ष ने सदस्यों को छत्तीसगढ़ भाषा बोलने की अनुमति एवं अनुवाद की व्यवस्था की।

तृतीय विधानसभा 5 जनवरी 2009 से 17 जुलाई 2013 तक चलीं जिसमें कुल 13 सत्र हुए। सदन का कार्य निष्पक्षता पूर्वक संचालित हुआ। चतुर्थ विधानसभा 06 जनवरी 2014 से वर्तमान में अब तक कुल 09 सत्र हो चुके हैं।

''प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रस्तावों की सूचनाओं प्रश्नों आदि

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2000 से 2017 तक की अवधि में विभिन्न स्पीकर पद का निर्वाचन

क्र0	सन्	अस्थायी स्पीकर	स्पीकर	उपाध्यक्ष
प्रथम विधान सभा	2000–2003	श्री महेन्द्र बहादुर सिंह	स्व.डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल	श्री बनवारी लाल अग्रवाल 28/03/2001 से 09/03/2003 तथा धरमजीतसिंह 13/03/2003 से 05/12/2003
द्वितीय विधान सभा	2003–2008	स्व.डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल	श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय	श्री बद्रीधर दीवान
तृतीय विधान सभा	2009–2013	श्री बोध राम कंवर	श्री धरम लाल कौशिक	श्री नारायण चंदेल
चतुर्थ विधान सभा	2014–अब तक	श्री सत्यनारायण शर्मा	श्री गौरी शंकर अग्रवाल	श्री बद्रीधर दीवान

को गृहीत करने या न करने के बारे में विचार करते समय अध्यक्ष अपने मूल कर्तव्य को सदा ध्यान में रखता है कि उसे इस तरह कार्य करना है जिससे कि समय–समय पर उत्पन्न होने वाले लोक महत्व के विभिन्न मामलों पर सदन विचार कर सके और उनके बारे में फैसला कर सके। जब कभी अध्यक्ष को संदेह हो तो वह आमतौर पर सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। वह अपने कर्तव्यों को या अपनी शक्तियों को इस रूप में नहीं लेता कि जैसे वह सदन से अलग हो या सदन के प्राधिकार से उसकी शक्ति अधिक हो, या कि वह सदन के निर्णयों को रद्द कर सकता हो। वह सदन का अंग होता है और सदन के बेहतर कार्यकरण के लिए सदन के ही शक्तियाँ प्राप्त करता है। अंततागत्वा वह सदन का सेवक होता है,उसका स्वामी नहीं।''[9]

स्पीकर सदन का संरक्षक होता है। वह एक अच्छा नेता, एक अच्छा कप्तान,एक अच्छा मित्र, दार्शनिक, पथ–प्रदर्शक और एक अच्छा अधिवक्ता होता है। इन सारी भूमिकाओं को एक साथ निभाता है।

''सदस्यों का आचरण संयमित बनाने में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अम्पायार की तरह परिस्थिति के अनुरूप स्वरित निर्णय लेने की उसकी क्षमता समन्वय की भावना, धैर्य तथा गरिमा अनुरूप आचरण के बल पर ही सदन में व्यवस्था बनाये रखा जा सकता है। सत्ता पक्ष से सम्बंध तथा झुकाव अध्यक्ष की विवशता है क्योंकि उसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की कोई व्यवस्था अब तक नहीं हो पायी है। इससे सत्ता पक्ष को जहां अध्यक्ष पर अपने एहसान का एहसास रहता है, वहीं विपक्षी भी कभी–कभी पार्टी सदस्य की छबि से हट कर अध्यक्ष को देखना भूल जाता है। इस कारण यदा कदा अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला व्यवहार भी सदन में अनजाने में ही हो जाता है। इस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र का गहरा चिंतन आवश्यक है और स्पीकर को यदि सच में निष्पक्ष बनाना है, तो यह परम्परा डालनी होगी कि समस्त दल चुनाव में उसका विरोध न करें और जब तक उसका स्वास्थ्य साथ दें उसे स्पीकर के पद पर बना रहने दिया जाए।''[10]

<u>सन्दर्भ</u> **:**

(1) धुर्वे, डॉ.एन.के. : संसदीय प्रजातंत्र में अध्यक्ष का पद, शब्द भारती पुराना लश्कर लाइन, इलाहाबाद, पृष्ठ 1.

***(2)** उपाध्याय, डॉ.जयराम : भारत का संविधान, पृष्ठ 396.*

***(3)** राय, डॉ.एम.पी. : भारतीय संविधान, कॉलेज बुक डिपो, 83 त्रिपोलिया बाजार, जयपुर 2, पृष्ठ 252.*

***(4)** कौल, महेश्वर नाथ एवं शकधर, श्यामलाल : संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 72 से 102.*

***(5)** भारतीय संविधान अनुच्छेद 168.*

***(6)** भारतीय संविधान अनुच्छेद 334.*

***(7)** कश्यप, डॉ.सुभाष : हमारी संसद, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पांचवा संशोधित संस्करण, 2013, पृष्ठ 69.*

***(8)** कल आज और कल महत्वपूर्ण घटनाक्रम, पृष्ठ 83. छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय।*

***(9)** कश्यप डॉ.सुभाष : हमारी संसद. पांचवा संशोधित संस्करण, 2013, पृष्ठ 83.*

***(10)** धुर्वे, एन.के. : डॉ.संसदीय प्रजातंत्र में अध्यक्ष का पद, शब्द भारती, 84, पुराना लश्कर लाइन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1998, पृष्ठ 45.*

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Political Science**
Since March 2002
Research Link - 155, Vol - XV (12), February - 2017, Page No. 90-91
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ई-गवर्नेंस की अवधारणा व विकास के नये क्षितिज

प्रस्तुत शोधपत्र ई-गवर्नेंस अवधारणा व विकास की राह पर आधारित है। ई-गवर्नेंस का जो एक स्वच्छ प्रशासन देने का वादा है, वह भविष्य में अवश्य पूरा होगा। इसके लिए सरकार एवं जनता दोनों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी, जिसके माध्यम से सरकार और जनता के बीच संवाद का जरिया बनता जाएगा। जो डिजिटल डेमाक्रेसी के रुप में हमारे सामने है। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लागू करने से हुई है और आज ई-कंसलटेशन, ऑन लाईन पोलिंग, ई-पीटिशन, ई-रेफ्रडम जैसी सुविधाएँ भी प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 08 नवम्बर 2016 को नोट बंदी का लिया गया निर्णय व भीम ऐप जैसी योजना को लांच करके इस दिशा में एक क्रांतिकारी व ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका प्रभाव भारत के भविष्य पर अमिट रुप से रेखांकित होगा।

डॉ.(श्रीमती) नागरत्ना गणवीर*, डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी व श्रीमती सपना वैष्णव*****

प्रस्तावना :

भारत एक विशाल देश है। यहाँ अभी भी अशिक्षा, भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। इन समस्याओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से कुशलतापूर्वक हल किया जा सकता है। आज हमारे देश में ई–गवर्नेन्स के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ कार्य कर रही हैं, जिससे कि आम आदमी एवं सरकारी तंत्र के मध्य दूरियां कम हो गई है व शहरी विकास के साथ–साथ ग्रामीण विकास भी अपने चरमोत्कर्ष पर है।

केन्द्र सरकार ने 18 मई 2006 को 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ एन.ई.जी.पी. का अनुमोदन किया। जिसका उद्देश्य देश भर में सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार लाना और आम आदमी के लिये सामान्य सेवा जैसे रेल्वे रिजर्वेशन, एयर टिकट, पासपोर्ट, पेन कार्ड, मतदाता सूची में प्रविष्टि प्रक्रिया, टैक्स पेमेंट इत्यादि सामान्य सुविधा प्रदान करना, और साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी की शुरूआत इलेक्ट्रानिक वोटिंग लागू होने से कही जा सकती है। आज ई–कंसल्टेशन, ई–रिप्रेजेटिप्स, ऑन–पोलिंग, ई–पीटिशन, ई–रेफडम जैसी सुविधाएँ भी मौजूद हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी के लिए की जा रही नयी खोजों का लक्ष्य भी (आई.सी.टी.) इन्फॉरमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जनता को नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है।

केन्द्र सरकार ने करीब एक लाख करोड़ रूपये मूल्य की विभिन्न परियोजना वाले कार्यक्रम डिजिटल इण्डिया को 20 अगस्त 2014 को स्वीकृत की गयी और वर्तमान में 500 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मौजूदा द्वितीय वर्ष से चरणबद्ध तरीके से 2018 तक क्रियांवित किया जाएगा। प्रत्येक गाँव को डिजिटल पंचायत बनाने तथा प्रत्येक गाँव को ब्राडबैण्ड कनेक्शन से जोड़ने तथा गाँवों में हाई–स्पीड इंटरनेट पहुँचाने के लिए शासन में पारदर्शिता लाने और समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा।

ई–गवर्नेन्स विकास की राह :

आज का समय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण कम्प्यूटर के सामने बैठे–बैठे ही विश्व के किसी भी कोने से खरीददारी करना, बिलों का भुगतान करना या विज्ञापन तथा धन राशि का स्थानांतरण आदि महत्वपूर्ण कार्य बड़ी आसानी से हो रहे हैं। आज तो व्यक्ति अपनी घरेलू आवश्यकता की खरीददारी घर बैठे ही कर सकता है। आज कई प्रकार के शब्द जैसे ई–मेल, ई–गवर्नेन्स, ई–बिजनेस, ई–बैंकिंग, ई–फैक्स आदि सुनते रहते हैं। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी एक नयी प्रौद्योगिकी बदलती रहती है, जिसके कारण नित नई सुविधाओं का विकास हो रहा है।

सरकार, ई–गवर्नेस विकास के लिए अनेक योजनाओं को बना रही है।

ई–चौपाल : आज गाँव–गाँव में ई–चौपाल की स्थापना हो रही है। ई–चौपाल केन्द्रों पर किसानों को कृषि की नयी प्रौद्योगिकी अपनाने की जानकारी, फसलों के उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, उर्वरकों दवाओं की जानकारी, फसलों के रोगों बीमारियों की जानकारी व निदान के उपाय, बाजार मूल्य आदि जानकारी देना। ई–चौपाल आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में 5 हजार से अधिक ई–चौपाल है।

ई–भूमि : भूमि संबंधी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है कि भूमि संबंधी आंकड़ों का आंकलन, भूमि सुधारों को कम्प्यूटरीकृत

**निर्देशक व विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान विभाग), शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय, राजनांदगाँव (छत्तीसगढ़)*
***सह-निर्देशक व प्राचार्य, एस.आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) ***शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)*

करने की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। भूमि रिकार्डो को बनाने के लिए भूमि नामक एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है।

मीडिया लैब एशिया : यह राष्ट्रीय और विदेशी लोगों, परियोजना एवं प्रयोगशाला का एक नेटवर्क है, जो कि आवश्यक सूचनाओं और प्रौद्योगिकी लाभों को जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

ज्ञान दूत : यह एक इंटरनेट सेवा है, जो कि सस्ती और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर उपअंग है।

ई–गवर्नेस की सहायता से जहाँ सरकारी प्रशासनिक कार्यो में विकास की गति आई है, साथ ही इन कार्यो में पारदर्शिता आ रही है, वहीं सभी नागरिकों को तीव्रगति से सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासनिक प्रभाविता में सुधार के साथ–साथ परिवहन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में सुविधाओं में सुधार किए जा सकेंगे। ई–गवर्नेन्स के विषय में इससे जो भी उपयोग किए गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से आम आदमी को सरकारी सेवाएँ अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकती है।

केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद ई–गवर्नेस का महत्व और अधिक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने भाषण में स्वयं यह कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गाँधी जी ने ई–गवर्नेस की नींव रखी थी हम इसे व्यवहारिक स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 8 नवम्बर 2016 को भारत में पहली बार सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 500 रूपये और 1000 रूपये के नोट बंद करने की घोषणा करके पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में उथल–पुथल मचा दी और 50 दिन के भीतर बेहतर परिणाम आने की बात कही, जिसमें भारत ही नहीं सभी पड़ौसी देश भारत में भ्रष्टाचार, काला बाजारी, काला धन, नक्सलवाद, आतंकवाद, जमाखोरी, कमीशनखोरी, हवाला कारोबारी जैसे अनेक गलत तरीके से की जाने वाली कमाई को बंद करने की ओर प्रतिबद्धता जाहिर की है। जिसकी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सहित अनेक क्षेत्रिय विरोधी दलों ने आलोचना, धरना, प्रदर्शन करके विरोध जताया है। परन्तु केन्द्र सरकार ने दृढ़तापूर्वक इस निर्णय को लागू करने की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।

इस क्रांतिकारी परिवर्तन की सफलता पूर्णतः ई–गवर्नेस डिजिटल इंडिया के ऊपर निर्भर है, इसलिए केन्द्र सरकार ने केस–लेस व्यवस्था को गाँव से लेकर संसद तक लागू करने के लिए मोबाईल, नेट, कम्प्यूटर, आधारकार्ड, बैंक खाता, ए.टी.एम. कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड के अधिक से अधिक प्रयोग और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रूपये तक के पुरस्कार की घोषणा भी की। इससे स्पष्ट है कि भारत में ई–गवर्नेस के रूप मे पेपर–लेस और केश–लेस प्रशासन अनेक सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने में यह योजना व कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम से भीम ऐप को लांच करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ओर अहम कदम उठाया है, जो ई–गवर्नेस के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी।

निष्कर्ष :

ई–गवर्नेस का जो एक स्वच्छ प्रशासन देने का वादा है, वह भविष्य में अवश्य पूरा होगा। इसके लिए सरकार एवं जनता दोनों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी। जिसके माध्मय से सरकार और जनता के बीच संवाद का जरिया बनता जाएगा, जो डिजिटल डेमोक्रेसी के रूप में हमारे सामने है। इसकी शुरूआत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लागू करने से हुई है और आज ई–कंसल्टेशन, ऑन लाइन पोलिंग, ई–पीटिशन, ई–रेफ्रडम जैसी सुविधाएँ भी प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवमबर 2016 को नोट बंदी का लिया गया निर्णय व भीम (ऐप) जैसी योजना को लांच करके इस दिशा में एक क्रांतिकारी व ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका प्रभाव भारत के भविष्य पर अमिट रूप से रेखांकित होगा।

संदर्भ :

(1) बेदी, के. सिंग, पी.जे. (2002) : न्यू गर्वनेन्स अपरचुनेटिस फॉर इंडिया, नई दिल्ली, बिल्ली सग पब्लिकेशन।

(2) *प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2013, पृ. 1052.*

(3) *योजना, सितम्बर 2012, पृ. 33.*

(4) *प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2008.*

(5) *मिश्रा एस.एस.ई. (2007) : ई–गवर्नेन्स इन डेव्लपिंग नेशंस, हैदराबाद, आई.सी.एफ.आई. वि.वि. प्रेस।*

❁ ❁